न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 66 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
लाला पुत्र रामजी का.मु. 1/1सोहनलाल पुत्र लाला 1/2मगाराम पुत्र लाला 1/3प्रकाश पुत्र लाला 1/4कुनणी पत्नी लाला जाति विश्नोई निवासी अणदाणियो की बेरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर		1. भगवानाराम पुत्र मानाराम 2. भागीरथराम पुत्र मानाराम 3. सदराम पुत्र रामलाल 4. गोरधन पुत्र गुणेशा 5. हीरा पुत्र गुणेशा का.मु. 5/1आसुराम पुत्र हीराराम 5/2लाधुराम पुत्र हीराराम 5/3केसीदेवी पत्नी हीराराम 5/4झीणादेवी पुत्री हीराराम 5/5ऐलचीदेवी पुत्री हीराराम 5/6चूकीदेवी पुत्री हीराराम 6. रूखमणी पत्नी हरदान का.मु. 6/1ईन्द्रा पुत्री हरदान जाति विश्नोई निवासी खारा तहसील सांचौर जिला जालौर 7. भाखरा पुत्र रामजीराम 8. केशा पुत्र रामजीराम जाति विश्नोई निवासी अणदाणियो की बेरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 9. श्रीमान तहसीलदार नोखड़ा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 33/2017 बअनवान भगवानाराम बनाम सदराम में पारित आदेश दिनांक 12.08.2024 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री मुकेश जैन अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री लाधूराम पूनिया रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—04.12.2024

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 से 02 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि उतरदाता/प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 203/ रकबा 29.15 बीघा, मौजा अणदोणियो की बेर तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मे आया हुआ है तथा प्रार्थीगण के खेत के पास ही विप्रार्थीगण का खेत खसरा संख्या 206 रकबा 07.10 बीघा आया हुआ है। प्रार्थीगण को अपनी रहवासी ढाणियों में जाने हेतु विप्रार्थीगण के वादग्रस्त खेत से रास्ते की आवश्यकता है तथा वही से सरकारी कटाण मार्ग तक आने जाने का एक मात्र रास्ता है उतरदाता प्रार्थीगण उक्त रास्ते का उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे है। उपरोक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 11.03.2024 पर मौका रिपोर्ट दिनांक 22.04.2024 को देखा गया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

एवं मौका रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। उक्त मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट में दर्शित रूट संख्या 2 बरंग हरा(नीले) निकट सुविधा जनक एवं लघु है जिसमें अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा लिखित में सहमति प्रदान की गई है तथा वहां पर किसी भी प्रकार का निर्माण, मकान, टांका आदि बना हुआ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अधीनस्थ अदालत के पीठासीन अधिकारी ने स्वयं को साक्ष्य का पार्ट बनाते हुए मौका देखकर रूट संख्या 2 के प्रस्तावित रास्ते की जगह रूट संख्या 1 बरंग लाल जो लम्बी दूरी पर है तथा असुविधाजनक है तथा काश्त की हुई है, उसके बावजूद भी विधि विरूद्ध तरीके से स्वीकार कर अपीलांट के खातेदारी अधिकारों को जानबुझकर क्षति पहुंचाई गई। अधीनस्थ अदालत के पीठासीन अधिकारी ने मौका, क्यू देखा, उन्हे मौका देखने की आवश्यकता क्यू पड़ी मौका कब देखा, किसी की मौजूदगी में मौका देखा गया स्पष्ट नहीं है। वास्तव में मौका देखा ही नहीं गया है यदि मौका देखा जाता तो अपीलांट को नोटिस दिया गया होता, इससे भी स्पष्ट है कि सम्पूर्ण प्रक्रिया मिलावट से की गई है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.08.2024 में पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका देखा जाना बताया है लेकिन ऐसी कोई मौका रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं है। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि रास्ते के मामले में उपखण्ड अधिकारी स्वयं को मौका देखने का अधिकार है। हस्तगत प्रकरण में पीठासीन अधिकारी स्वयं द्वारा मौका देखा गया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

मौका देखने के पश्चात जो विकल्प उचित लगा वहा से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई व्यावहारिक वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में बताये रास्ते के विकल्प प्रस्तावित रास्ते से निकटतम दूरी का है लेकिन मौके पर रहवासी घर बने हुए है। इसलिए रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है। मौका निरीक्षण के समय अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के संज्ञान में आया कि रूट संख्या 02 रास्ते के लघुतम विकल्प पर मौके पर पूर्ण रूपेण/आंशिक रूप से अप्रार्थी का रहवासी घर मौके पर बना हुआ है। यदि लघुतम मार्ग के विकल्प पर से नवीन रास्ता कायम किया जाता है तो अप्रार्थी के रहवासी घर को नुकसान के साथ साथ भविष्य में उतरदाता/प्रार्थी के आवागमन में विवाद बने रहने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। रूट संख्या 02 लघुतम मार्ग के विकल्प राणासर खुर्द से नोखड़ा जाने वाली सड़क के कट्टाण मार्ग के विपरित मौके पर अन्य जगह चालू होने से यदि भविष्य में राणासर खुर्द से नोखड़ा जाने

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वाली सड़क के कट्टाण मार्ग पर ही निर्माण होने की स्थिति में उक्त रूट संख्या 02 लघुतम मार्ग के विकल्प व्यावहारिक नहीं रह जाएगा। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से रूट संख्या 01 में प्रस्तावित रास्ते को दिया गया है। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में बाद सुनवाई पश्चात पारित किया गया। उसके उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु किसी भी प्रकार के प्रदत्त रास्ते से निकटतम व्यावहारिक वैकल्पिक रास्ता का विकल्प नहीं बताया गया। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में आपति की है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी स्वयं को मौका देखने की आवश्यकता क्यू पड़ी? अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की मंशा पक्षकारों के मध्य सुलभ न्याय प्रदान करने हेतु मौके की वास्तविक स्थिति को देखना आवश्यक था इसलिए रास्ते के मामले में मौका देखा जाना न्यायसंगत है इसलिए अपीलांट की उक्त आपति में कोई सार नहीं है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से मौके की स्थिति को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 33/2017 बअनवान भगवानाराम बनाम सदराम में पारित आदेश दिनांक 12.08.2024 को यथावत रखा जाता है।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 04.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर